सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2010/00022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैंपऊ जिला धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरि सिंह लम्बोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 25/2010

1. चन्दुआ
2. मौहर सिंह

पुत्रगण हुक्मी जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम नयानगला तहसील व थाना सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1—चिंरोजी पुत्रश्री मनोहर .....(दौरानें दावा फौत) 1/1—रामभरोसी पुत्र चिरोजी 1/2—रामवती विधवा चिरोंजी 1/3—पातीराम 1/4—मंजू 1/5—गुडडी 1/6—लीलावती 1/7—शीतल अव्यस्क पिसरान होली पुत्र चिरोंजी जातिगण काछी निवासीगण ग्राम नया नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.....प्रतिवादीगण

दावा अधीन धारा 88, 188 व 53 आरटी एक्ट

उपस्थिति :—

1. श्री विनोद भार्गव अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र सिंह राना अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

::—निर्णय ::—

दिनांकः— 05.09.2019

वादीगण ने यह वाद इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 753 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा जो गत खसरा नम्बर 309 मिन रकवा 3 बीघा 2 विस्वा से बना हैं ग्राम लूदपुरा (पूर्व मांलौनी पंवार) स्थित हैं। पूर्व में खसरा नम्बर 309/4 रकवा 13 बीघा 4 विस्वा के खातेदार कृषक मिहिलाल पुत्र खुशाली थे। तथा खसरा नम्बर 309/5 रकवा 13 बीघा 5 विस्वा खातेदार कृषक चिरोंजी पुत्र मनोहर थे। मिहिलाल का देहांत दावा दायरी से 45—46 साल पूर्व हो गया। उनके कोई सन्तान नही थी। उनकी विरासत उनके खास भाई हुक्मी को प्राप्त हुई तथा हुक्मी खसरा नम्बर 309/4 के खातेदार कृषक हुए। हुक्मी का भी देहांत हो गया। हुक्मी के वारिस वादीगण हैं। बन्दोवस्त विभाग ने गत खसरा नम्बर 309/5 के नये खसरा नम्बर 771, 772, 773, 749, 750, 751 तथा 752 बनायें। तथा खसरा नम्बर 309/4 के नवीन खसरा नम्बर 753, 754, 757, 758 तथा 759 बनायें। बन्द्रोवस्त विभाग ने प्रतिवादीगण से साज कर खसरा नम्बर 753 पर वादीगण के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लिया। इसकी जानकारी वादीगण को दावा दायरी

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

से 1 माह पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कोशिश करने पर हुई। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने स्वतः घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत कियसा। जिसमें उन्होने वाद पत्र में अंकित तथ्यों से इनकार करते हुए कथन किया कि हुक्मी की लड़कियां भी मौजूद हैं। जो वाद के लिए आवश्यक पक्षकार हैं। जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। जिस कारण वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष हैं। उनका यह भी कथन रहा कि विवादित आराजी कभी भी वादीगण के पूर्व पुरूष के खातेदारी में नही रही। बल्कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक हैं। अतः दावा खारिज किया जावें।

उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया ग्राम लुधपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 309/4 के खातेदार कृषक मिहीलाल तथा 309/5 के खातेदार कृषक चिरौंजी थे।

   .... वादी
2. आया बंदोबस्त विभाग ने गत खसरा नम्बर 309/5 के नवीन खसरा नम्बर 771,772, 773, 749, 750, 751, तथा 752 तथा गत खसरा नम्बर 309/4 के नवीन खसरा नम्बर 753, 754, 757, 758, 759 बनाये।

   .... वादी
3. आया वादीगण खसरा नम्बर 753 के खातेदार कृषक हैं।
4. आया बंदोबस्त विभाग के गलत रूप से खसरा नम्बर 753 प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नही था।

   .... वादी
5. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। .... वादी
6. आया हुक्मी के वारिसान में हुकमी की लड़की भी हैं जो प्रकरण के लिए आवश्यक पक्षकार हैं। यदि ऐसा है तो उसका वाद पर क्या असर हैं?

   .... प्रतिवादी
7. आया विवादित आराजी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी हैं। ......प्रतिवादी
8. अनुतोष

वादीगण ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, 2 व 3, नकल मिसिल बन्दोबस्त प्रदर्श– 4 व 5, नकल जमाबन्दी संवत 2043–46 प्रदर्श–6, नक्शा तरमीन प्रदर्श–7, जमाबन्दी संवत 2019–22 प्रदर्श–8, जमाबन्दी संवत 2015–18 प्रदर्श–9, जमाबन्दी संवत 2011–14 प्रदर्श–10, नकल खसरा सवंत 2019 प्रदर्श– 11, 12 व 13, जमाबन्दी संवत 2059–62 प्रदर्श–14 व

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

15 प्रस्तुत किये हैं। तथा मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 चन्दुआ, पीडब्ल्यू 2 नत्थीलाल के बयान कराये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई है। तथा मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू 1 रामभरोसी तथा डीडब्ल्यू 2 भलखान सिंह के बयान कराये हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी बार विवेचन निम्न प्रकार हैः—

तनकी नम्बर—1 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत बन्दोवस्त से पूर्व राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि से यह साबित होता है कि आराजी खसरा नम्बर 309/4 के पूर्व में खातेदार कृषक मिहिलाल थे। जो वाद में उसके वारिस हुक्मी पर आई। इन अभिलेखों से यह भी प्रकट होता हैं कि खसरा नम्बर 309/5 के खातेदार कृषक चिरोंजी थे। इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखों से वादीगण यह तनकी सिद्ध करने में सफल रहें हैं। अतः यह तनकी वहक वादीगण तय की जाती हैं।

तनकी नम्बर—2 इस तनकी को भी सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इसे सिद्ध करने के लिए नकल मिलान क्षेत्रफल का राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया हैं। जिसके मुताबिक वर्तमान खसरा नम्बर 771, 772, 773, 749, 750, 751, 752, 753, 757, 758 तथा 759 बनें हैं। प्रतिवादी द्वारा जो जबाव दावा पेश किया है उसमे भी उन्होने वादीगण के कथनों का विनिदिष्तः हैं। प्रत्याख्यान नही किया हैं। आदेश 8 नियम 3 व 5 जा0 दी0 के अनुसार प्रतिवादी को वादी के द्वारा किये गये कथनों को विदिनिष्तः प्रत्याख्यान करना होगा। यदि ऐसा नही होता है तो वाद पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकृत तथ्य माना जावेगा। प्रतिवादी ने अपने जबाव दावे में यह भी कही कथन नही किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 309/5 का अंश रहा हों। इस प्रकार यह तनकी भी वादीगण तय की जाती हैं।

तनकी नम्बर—3 व 4 जैसा कि ऊपर विवेचन किया जा चुका हैं। उससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 309/4 के खातेदार वादीगण के पूर्व पुरूष मिहिलाल थे। प्रस्तुत अभिलेखों में दर्ज आराजीयात के रकबों के हिसाब से यह निकल कर सामने आता है कि प्रतिवादी को उसके साबिक रकबे के मुताबिक आराजी प्राप्त हो गई हैं। जबकि वादीगण को उतनी आराजी प्राप्त नही हुई। वादीगण को प्राप्त आराजी में यदि खसरा नम्बर 753 भी जोड दिया जावे तो वह रकवा भी समान हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त वादीगण ने जहा एक ओर अपनी साक्ष्य से विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित किया हैं। वहीं प्रतिवादी की साक्ष्य भी वादीगण के कब्जे को स्वीकार करती हैं। दौराने बहस वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने हमें फौजदारी प्रकरण संख्या 175/2006 में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2011 का अवलोकन कराया।

उपखण्ड अधिकारी

जिसमें प्रतिवादी चिरोंजी ने विवादित आराजीयात बाबत् एक फौजदारी मुकदमा वादीगण के खिलाफ किया था। उक्त निर्णय में भी विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा माना गया हैं। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य से वादीगण का विवादित आराजी पर खातेदार कृषक होना तथा काबिज होना सिद्ध होता है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि बन्दोवस्त विभाग को इन्द्राज बदलने का कोई हक नही था। अतः यह तनकीयात भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती हैं।

तनकी नम्बर–5 तनकी नम्बर 3 व 4 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक है तथा काबिज हैं। जिस कारण वह स्थाई निषेद्याज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। अतः यह तनकी वादीगण के हक में तय की जाती हैं।

तनकी नम्बर–6 व 7 इन तनकीयात को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। परन्तु इस बाबत् उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई। अतः यह तनकीयात प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को खसरा नम्बर 753 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा ग्राम लूदपुरा तहसील सैंपऊ का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जा काश्त में कोई हस्ताक्षेप नही करें। तथा न ही उसे काश्त करने से रोंके। राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार इन्द्राज किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर व मौहर अदालत से जारी किया गया।

हरिसिंह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ, जिला धौलपुर